फर्द अहकाम

न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी जोबनेर~~ (2022/250)

~~गीता देवी~~ बनाम कल्याणमल

मुकदमा संख्या /वर्ष : 338/16 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
२४/11/22	पत्रावली पेश हुई। नक्शे कुरेजात का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की उक्त में पक्षकार द्वारा बैंक से रहन रखा हुआ है। बैंक को सूचनार्थ लिए तहरीर जारी की जावे। पत्रावली दिनांक 14/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	श्रीमानजी तहरीर जारी की गयी
14.12.22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश/~~कार्यवश दौरे~~ पर पधारे हुए है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 28/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/12/2022	पत्रावली पेश हुई। वादीया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादिया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार से प्राप्त नक्शे-कुरजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश दिनांक 10/1/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 28/12/2022	(हस्ताक्षर) (सुरेन्द्र परिहार एड.) (हस्ताक्षर) (लक्ष्मीनारायण कलवानियां एड.)
10/1/2023	पत्रावली पेश हुई। वादिया/प्रतिवादीगण अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश दिनांक 20/1/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 10/1/2023	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	२०/१/२०२३	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पृथक् से टंकित कराया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 20/1/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 333/2013 (पुराना) दायर तारीख :– 03.11.2016
151/2022 (नया इस न्यायालय का)

1. गीतादेवी पत्नि गंगाराम जाति जाट नि0 भोजपुरा कलां तह0 जोवनेर जिला जयपुर राज0

वादिया

बनाम

1. कल्याणमल पुत्र श्री लालाराम
2. हनुमान पुत्र गीदा
3. देवा पुत्र गीदा–फौत
   3/1 रूकमा पत्नि देवा
   3/2 गोपाल पुत्र देवा
   समस्त जाति जाट नि0 भोजपुरा कलां तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
   3/3 मदनलाल पुत्र देवा जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील रेनवाल
   3/4 सुप्यार पुत्री देवा पत्नि ज्ञानाराम जाति जाट निवासी पूरा का बाडा तहसील फुलेरा
   3/5 बोदी पुत्री देवी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी रोजडी त0 फुलेरा
   3/6 नारायणी देवी पुत्री देवा पत्नि पदमाराम जाति जाट निवासी रोजडी त0 फुलेरा
   3/7 नानची देवी पुत्री देवा पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी दीपपुरा त0 फुलेरा
4. लादू
5. मांगू पुत्रान गीदा जाति जाट निवासीयान भोजपुरा कलां त0 जोबनेर
6. मूलाराम
7. सोनाराम पुत्रान हीरालाल निवासीयान भोजपुरा कलां त0 जोबनेर
8. कजोडमल पुत्र रामूराम
9. रूडा पुत्र बालू
10. सुवा पुत्र बालू
11. गोगल्या पुत्र बालू
12. सोन्या पुत्र हीरा
13. रूडा पुत्र हीरा
14. मूल्या पुत्र हीरा
15. लक्ष्मण पुत्र दल्ला
16. अर्जुन पुत्र दल्ला
    समस्त जाति जाट नि0 भोजपुरा कलां तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
17. लाडा पुत्री दल्ला पत्नी गोपाल
18. मोटा देवी पुत्री दल्ला पत्नी बक्शा राम
19. नानूडी पुत्री दल्ला पत्नी गोपाल
    समस्त जाति जाट निवासी जामरी तलाई मुण्डोता तहसील–कालवाड, जयपुर।

.......2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

20. लाला पुत्र हरदेवा–फौत
 20/1 मोहनी देवी पत्नी लाला
 20/2 वंशी पुत्र लाला
 समस्त जाति जाट निवासी भोजपुरा कलां तहसील जोबनेर
 20/3 विमला देवी पुत्री लाला पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी तिबारीया तहसील जोबनेर
21. चन्द्रा
22. जगदीश
23. भूरा
24. भोलू पुत्रान हरदेवा जाति जाट निवासी भोजपुरा कंला तहसील जोबनेर, जयपुर
25. पेमा पुत्र श्योलाल फौत
 25/1 गोरादेवी पत्नि पेमा
 25/2 अर्जुन पुत्र पेमा
 25/3 सीताराम पुत्र पेमा
 25/4 बाबूलाल पुत्र पेमा समस्त जाति जाट निवासी भोजपुरा कलां तहसील जोबनेर
 25/5 झमकू पुत्री पेमा पत्नि गणेश राम जाति जाट निवासी माल्यावास तहसील फुलेरा
 25/6 मन्नी देवी पुत्री पेमा पत्नि सोनाराम जाति जाट निवासी जैवलियों की ढाणी तन माल्यावास तहसील फुलेरा
26. सुखा पुत्र पेमा जाति जाट निवासी–भोजपुरा कला तहसील जोबनेर जिला जयपुर
27. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार, विद्वान अधिवक्ता वादीया
2. श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9,10व 11
4. पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.01.2023**

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के अंतर्गत दिनांक 03.11.2016 को प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादिया/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 26 की संयुक्त कब्जें

.......3

20.1.23
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 1 रकबा 38 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम भोजपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 मे स्थित है। जिसमें वादिया का 10/228 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 (3/1 लगायत 3/7) का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 व 7 का संयुक्त रूप से 9/228 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 लगायत 11 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 12 लगायत 14 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 व 16 का संयुक्त रूप से 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 लगायत 19 का संयुक्त रूप से 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 20 (20/1 लगायत 20/3) का 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 प्रत्येक का 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 25 (25/1 लगायत 25/6) व प्रतिवादी संख्या 26 का संयुक्त रूप से 2/9 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित है। पक्षकारान ने पारस्परिक सहमति से मौके के कब्जे–काश्त के अनुसार भूमि का विभाजन कर रखा है एवं अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 मृतक देवा पुत्र गिदा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/7 व प्रतिवादी संख्या 4, 5, 9 , 10 व 11 मनचाही जगह कब्जा करके निर्माण करना चाहते है। वादीया ने कई बार मौके की कब्जे–काश्त के अनुसार विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने हमेशा वादिया को आश्वासन दिया की जब भी गांव में कोई राजस्व शिविर लगेगा तब विभाजन करवा लेगें। लेकिन आजकल उपरोक्त प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आया हुआ है। वे पारस्परिक सहमति से हुए विभाजन से मुकरने लगे है। वादिया को उसके मौके की कब्जे–काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसी क्रम में दिनांक 28.10.2016 को वादग्रस्त भूमि पर मनचाही जगह पर उपरोक्त प्रतिवादीगण ने कब्जा करते हुए नया पुख्ता निर्माण करने के लिए कुछ मजदूरों व कारीगरों को साथ लेकर आए तथा वादिया को कब्जे–काश्त से बेदखल करने की गरज से पुख्ता निर्माण करने का प्रयास किया। वादिया ने प्रतिवादीगण को उक्त निर्माण करने से मना किया तथा मौके कब्जे–काश्त अनुसार विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इनकार हो गये तथा वादिया को धमकी दी कि वे वादिया को उसके हक अधिकार से बेदखल कर के मनचाही जगह कब्जा करेगें। इसलिए वादिया को अपने हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सं0 9 लगा0 11 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हनुमान जाखड ने वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प भोजपुरा कलां में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित हुए तथा पक्षकारों ने फर्द मौका मजमे–आम में अपनी सहमति उक्त वाद को बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पक्षकारों ने अपनी सहमति बाबत पत्रावली पर हस्ताक्षर किए।

20/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

......4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

1. वाद पत्र दिनांक 01.05.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जोबनेर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक 2452 दिनांक 26.04.2022 से प्राप्त हुई।
2. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील वादिया एवं प्रतिवादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एवं नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात पर समस्त सहखातेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए गये है तथा सभी के द्वारा अपनी सहमति प्रदत्त की है। साथ ही तहसीलदार द्वारा प्रेषित नक्शे कुर्रेजात दिनांक 26.04.2022 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19 द्वारा प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया है, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादिया एवं समस्त प्रतिवादीयों की सहमति होने से वादिया का वाद मुताबिक नक्शें कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। मुताबिक नक्शें कुर्रेजात वादिया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम भोजपुरा कलां तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गीता देवी पत्नि गंगाराम	खसरा नं0 1/1 रकबा 0.3910 खसरा नं0 1/3 रकबा 0.0316 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4226
2	प्रतिवादीगण कल्याणमल वगै0 जमाबंदी अनुसार समस्त खातेदार	खसरा नं0 1/2 रकबा 9.2129

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुर्रेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर मुकाम जोबनेर जिला जयपुर व इजलास **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0,**

गीतादेवी बनाम कल्याणमल वगै0

दावा बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 333 / 2016 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 151 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0 बहाजरी** श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व श्री हनुमान जाखड विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1, श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 11, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादीया गीतादेवी द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वादीया का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा सहमति से अर्थात् सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17 माह 01 सन् 2023 को जारी किया गया।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ... जिला जयपुर — सत्यमेव जयते)

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.......	02 / –		स्टाम्प वकालतनामा....	02 / –	
स्टाम्प वकालतनामा....	01 / –		स्टाम्प वजह सबूत......		
स्टाम्प वजह सबूत......			महनताना वकील.......		
महनताना वकील.......			खर्चा गवाहान......		
खर्चा गवाहान......			फीस कमिश्नर......		
फीस कमिश्नर......			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा......		
हुक्मनामा......			मुतफर्रिक.......		
मुतफर्रिक.......	05 / –		मीजान.......		
मीजान.......					
कुल	08 / –			02 / –	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

1. गीतादेवी पत्नि गंगाराम जाति जाट नि0 भोजपुरा कलां तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

वादीया

बनाम

1. कल्याणमल पुत्र श्री लालाराम

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

......2

2. हनुमान पुत्र गीदा
3. देवा पुत्र गीदा–फौत
   3/1 रूकमा पत्नि देवा
   3/2 गोपाल पुत्र देवा
   समस्त जाति जाट नि0 भोजपुरा कलां तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
   3/3 मदनलाल पुत्र देवा जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील रेनवाल
   3/4 सुप्यार पुत्री देवा जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील रेनवाल
   3/5 बोदी पुत्री देवी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी पूरा का बाडा त0 फुलेरा
   3/6 नारायणी देवी पुत्री देवा पत्नि पदमाराम जाति जाट निवासी रोजडी त0 फुलेरा
   3/7 नानची देवी पुत्री देवा पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी दीपपुरा त0 फुलेरा
4. लादू
5. मांगू पुत्रान गीदा जाति जाट निवासीयान भोजपुरा कलां त0 जोबनेर
6. मालूराम
7. सोनाराम पुत्रान हीरालाल निवासीयान भोजपुरा कलां त0 जोबनेर
8. कजोडमल पुत्र रामूराम
9. रूडा पुत्र बालू
10. सुवा पुत्र बालू
11. गोगल्या पुत्र बालू
12. सोन्या पत्री हीरा
13. रूडा पुत्र हीरा
14. मूल्या पुत्र हीरा
15. लक्ष्मण पुत्र दल्ला
16. अर्जुन पुत्र दल्ला
    समस्त जाति जाट नि0 भोजपुरा कलां तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
17. लाडा पुत्री दल्ला पत्नी गोपाल
18. मोटा देवी पुत्री दल्ला पत्नी बक्शा राम
19. नानूडी पुत्री दल्ला पत्नी गोपाल
    समस्त जाति जाट निवासी जामरी तलाई मुण्डोता तहसील–कालवाड, जयपुर।
20. लाला पुत्र हरदेवा–फौत
    20/1 मोहनी देवी पत्नी लाला
    20/2 बंशी पुत्र लाल
    समस्त जाति जाट निवासी भोजपुरा कलां तहसील जोबनेर
    20/3 विमला देवी पुत्री लाला पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी तिबारीया तहसील जोबनेर
21. चन्द्रा
22. जगदीश
23. भूरा
24. भोलू पुत्रान हरदेवा जाति जाट निवासी भोजपुरा कंला तहसील जोबनेर, जयपुर
25. पेमा पुत्र श्योलाल फौत
    25/1 गोरादेवी पत्नि पेमा
    25/2 अर्जुन पुत्र पेमा
    25/3 सीताराम पुत्र पेमा
    25/4 बाबूलाल पुत्र पेमा समस्त जाति जाट निवासी भोजपुरा कलां तहसील जोबनेर
    25/5 झमकू पुत्री पेमा पत्नि गणेश राम जाति जाट निवासी माल्यावास तहसील फुलेरा
    25/6 मन्नी देवी पुत्री पेमा पत्नि सोनाराम जाति जाट निवासी जैवलियों की ढाणी तन माल्यावास तहसील फुलेरा
26. सुखा पुत्र पेमा जाति जाट निवासी–भोजपुरा कला तहसील जोबनेर जिला जयपुर
27. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर